

मध्य प्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 814 /435/2021/32 भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2021
प्रति,

1. सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आँकलन प्राधिकरण, (SEIAA)
एफको परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल ।
2. सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC),
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल ।

विषय :- "ईज ऑफ डूईंग बिजनेस "अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया को सरलीकृत किये जाने बावत् ।

संदर्भ :- सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पत्र क्रमांक 04/2021 दिनांक 23.09.2021 .

-0-

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधन दिनांक 15.01.2016 तथा दिनांक 11.06.2021 का अवलोकन करें, जिसमें उल्लेखित है कि :-


"The Expert Appraisal Committees (EACs) at the Central Government, SEACs at the State or Union territory level and DEAC at the district level shall screen, scope and apprise projects or activity."

MOEF&CC Notification dated 11.06.2021 for MP SEIAA and SEAC constitution in states:-

"4. The Authority, Madhya Pradesh shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Madhy Pradesh."

2/- इस संबंध में ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के पैरा 8(i) के अनुसार राज्य स्तरीय प्रभाव आँकलन प्राधिकरण (SEIAA) को, निर्णय राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर करना है। अतः इस विषय में SEIAA को पृथक से प्रोजेक्ट के तकनीकी प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता नहीं है, और दोनों संस्थाओं द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. नोटिफिकेशन का अक्षरतः अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न- उपरोक्तानुसार


(राकेश कुशारे) 24/9/21
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

पृ.कमांक 815/435/2021/32-3

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2021

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव ऑकलन प्राधिकरण, (SEIAA) भोपाल
2. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC), भोपाल.
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(राकेश कुशरे)
उप सचिव 24/9/21

मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग